

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 409]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 सितम्बर 2014—भाद्र 14, शक 1936

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 5 सितम्बर 2014

क्र. एफ-19-52-2013-1-4.—सी.आर.पी.एफ. को मैनोवर्स फील्ड फायरिंग एण्ड आर्टिलरी प्रेक्टिस एक्ट, 1938 (क्रमांक 5 सन् 1938) की धारा 9 की उपधारा (1,2,3,4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्वारा, तहसील ग्वालियर जिला ग्वालियर (म. प्र.) के ग्राम नयागांव के सर्वे नंबर 561/1 रकबा 0.7185 हेक्टर भूमि भूमियां जो नीचे अनुसूची में दर्शायी गई है को मैदानी गोलाबारी तथा तोप अभ्यास के लिये फायरिंग रेंज सह एक्सल्यूट सेफ्टीजोन दिनांक 1 अगस्त 2014 से प्रारंभ होने वाले तथा दिनांक 31 जुलाई 2024 को समाप्त होने वाले दस वर्षों की कालावधि के लिये निम्न शर्तों के अन्तर्गत प्राधिकृत किया जा सकेगा :—

- (1) सेना सुरक्षा विभाग द्वारा अपनी भूमि पर ही मुख्य रूप से सैन्य अभ्यास किया जा सकेगा.
- (2) एक्सल्यूट सेफ्टीजोन में जो भूमियां दर्शायी गई हैं उनके सैन्य अभ्यास के दौरान कम से कम जन-धन हानि हो, इसका प्रयास सेना सुरक्षा विभाग को करना होगा.
- (3) सैन्य अभ्यास के दौरान जन हानि, पशु हानि, फसल आदि की हानि होने पर सुरक्षा विभाग को नियमानुसार मुआवजा राशि आदि का भुगतान करना होगा. उक्त रेंज के अन्तर्गत एवं आसपास रहने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित रेंज के कमांडिंग आफिसर की होगी.
- (4) सैन्य अभ्यास के दौरान पहुंच मार्ग में आम रास्ता बन्द नहीं किया जायेगा. इन रास्तों को प्रारंभ रहने देने की शर्तों के साथ मध्यप्रदेश सैन्य चालन, मैदानी गोलाबारी तथा तोप अभ्यास नियम 12 से 15 अनुसार जो निजी भूमियां प्रभावित होगी (फसलें) उनका प्रतिकर क्षति होने पर सुरक्षा विभाग को अदा करना होगा, यदि सैन्य अभ्यास दिवसों में रास्ते बन्द किये जाते हैं तो आवागमन हेतु रास्तों पर सेना का पहरा लगाया जाकर आवागमन पूर्व से ही बंद कराना होगा.
- (5) सेना सुरक्षा विभाग को मैनोवर्स फील्ड फायरिंग एक्ट आर्टिलरी प्रेक्टिस एक्ट, 1938 एवं मध्यप्रदेश सैन्य चालन मैदानी गोलाबारी तथा तोप अभ्यास नियम, 1964 में दर्शाये नियमों का पालन करना होगा.

- (6) उक्त फील्ड फायरिंग रेंज में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधान लागू नहीं होते, परन्तु वन संरक्षण की दृष्टि से फायरिंग रेंज के सेप्टीजोन में बड़े वृक्षों के साथ छोटे वृक्षों का वृक्षारोपण सेना सुरक्षा विभाग को विभिन्न चरणों में पूरा करना होगा ताकि वृक्षारोपण कॉम्पेक्ट बने और क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण कम हो.
- (7) फायरिंग के दौरान वन सुरक्षा का पूर्ण प्रबन्ध सेना सुरक्षा विभाग को करना होगा. इस दौरान कोई हानि होती है तो नियमानुसार मुआवजे का भुगतान, सेना सुरक्षा विभाग को करना होगा.
- (8) सेना सुरक्षा विभाग को लिखित वचन पत्र देना होगा कि वे उपरोक्त नियमों का पालन करने हेतु तथा भारत सरकार अथवा राज्य शासन द्वारा भविष्य में यदि कोई शर्त निर्धारित की जाती है तो उन शर्तों को मानने के लिये बाध्य होंगे.
- (9) भू-रेखांक का निरीक्षण रोस्टर कलेक्टर जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकेगा. क्षेत्र का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

अनुसूची

क्र.	जिला	तहसील	ग्राम का नाम	राजस्व भूमि का क्षेत्र (हेक्टर में)	वन भूमि (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ग्वालियर	ग्वालियर	के.रि.पु. बल कैंप ए.बी. रोड नयागांव ग्वालियर.	सर्वे नं. 561/1 रकबा 0.7185 हेक्टेयर राजस्व भूमि के.रि.पु. बल के अधीन.	-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सुरेश, प्रमुख सचिव.